

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या-259/2017/जयपुर
अपील संख्या-260/2017/जयपुर
अपील संख्या-261/2017/जयपुर
अपील संख्या-262/2017/जयपुर

सहायक आयुक्त,
प्रतिकरापवंचन, राजस्थान,
वृत्त-प्रथम, जयपुर

.....अपीलार्थी

बनाम्
मैसर्स मान स्ट्रक्चरल्स प्रा.लि.,
नीयर रेलवे लोको, पोस्ट बॉक्स
नम्बर 189, जयपुर

.....प्रत्यर्थी

अपील संख्या - 2631/2016/जयपुर
अपील संख्या - 2632/2016/जयपुर

मैसर्स मान स्ट्रक्चरल्स प्रा.लि.,
नीयर रेलवे लोको, पोस्ट बॉक्स
नम्बर 189, जयपुर

.....अपीलार्थी

बनाम्
सहायक आयुक्त,
प्रतिकरापवंचन, राजस्थान,
वृत्त-प्रथम, जयपुर

..... प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री राजीव चौधरी, सदस्य
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री टी.सी.जैन
अभिभाषक
श्री एन.के.बैद
उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से

..... प्रत्यर्थी की ओर से

दिनांक: 29.06.2018

निर्णय

1. अपील संख्या 259/2017 से 262/2017 कुल चार अपीलों विभाग द्वारा एवं अपील संख्या 2631/2016 व 2632/2016 कुल दो अपीलों व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित अपील संख्या क्रमशः 450, 451, 452 एवं 453/अपील्स-I/आरवैट/I/जयपुर/2015-16 आदेश दिनांक 19.08.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं। अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील संख्या 450 से 453 व्यवहारी द्वारा सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान वृत्त-प्रथम, जयपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25, 55 एवं 61 केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 9 के अंतर्गत पारित आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत की गई थी जिनमें अपीलीय अधिकारी ने

2018

लगाना

2


अपीलें आंशिक स्वीकार कर, कर एवं ब्याज को यथावत रखा है तथा शास्ति को अपास्त किया गया है। कर एवं ब्याज के बिन्दु पर व्यवहारी द्वारा एवं शास्ति के बिन्दु पर विभाग द्वारा उपरोक्त द्वितीय अपीलें कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है। अपीलों का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र. स.	अपील संख्या	कर निर्धारण वर्ष	आदेश दिनांक	कर	ब्याज	शास्ति	कुल विवादित राशि	संशोधन आदेश से मांग में कमी	मांग राशि
1.	450	2013-14 RVAT	14.01.16	26,38,186	7,91,456	52,76,372	87,06,014	55,96,724	31,09,290
2.	451	2014-15 RVAT	14.01.16	2,05,038	36,907	4,10,076	6,52,021	4,19,156	2,32,865
3.	452	2013-14 CST	14.01.16	32,60,357	9,78,107	65,20,714	1,07,59,178	69,16,615	38,42,563
4.	453	2013-14 CST	14.01.16	8,73,245	1,57,185	17,46,490	27,76,920	17,85,160	9,91,760

2. उक्त अपीलों में विवादित बिन्दु एक समान होने के कारण इन अपीलों का निस्तारण संयुक्त आदेश के द्वारा किया गया। आदेश की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा विभिन्न प्रकार के स्टील स्ट्रक्चरल्स व टॉवर मैटेरियल, ट्रांसमिशन टॉवर लाईन इत्यादि का निर्माण कर राज्य में एवं राज्य के बाहर विक्रय किया जाता है। आलौच्य अवधि में प्रान्तीय/अन्तर्प्रान्तीय विक्रय के दौरान क्रेताओं से प्राप्त भाड़े (Freight) व बीमा (Insurance) की राशि को अपीलार्थी द्वारा विक्रय मूल्य का भाग नहीं माना गया। वक्त सर्वेक्षण जांच अधिकारी ने पाया कि क्रयादेश की शर्तों के अनुसार समस्त अनुबंधों में साईट पर माल पहुँचाने का दायित्व तथा गंतव्य तक माल पहुँचाने की समस्त जोखिमें एवं वहाँ वक्त माल का स्वामित्व भी अपीलार्थी का है। इस प्रकार की बिक्री F.O.R Destination पर पूर्ण होती है। इसलिये माल के साईट पर पहुँचने तक के समस्त व्यय यथा भाड़ा (Freight) व बीमा (Insurance) विक्रय मूल्य का भाग है। पत्रावली कर निर्धारण अधिकारी को स्थानांतरित की गई। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जांच अधिकारी के निष्कर्षानुसार वर्ष 2013-14 व 2014-15 की अवधि में अपीलार्थी द्वारा प्रान्तीय/अन्तर्प्रान्तीय विक्रय के क्रम में प्राप्त किये गये उक्त भाड़े एवं बीमा की राशि को विक्रय मूल्य का भाग माना गया। अपीलार्थी द्वारा भाड़े एवं बीमा की राशि को विक्रय में शामिल नहीं किये जाने का, करवंचना का कृत्य मानते हुये, कर निर्धारण अधिकारी ने भाड़े व बीमे की राशि पर कर, ब्याज एवं शास्ति आरोपण की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुये नोटिस जारी किये गये। नोटिस की अनुपालना में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब को अमान्य करते हुये, उक्तानुसार भाड़े व बीमे की राशि पर कर, ब्याज एवं शास्ति का आरोपण किया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने बाद में संशोधन आदेश द्वारा भाड़े एवं बीमा राशि पर आरोपित कर दर 14 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत

20-



लगातार.....3

की जाकर तदनुसार मांग में संशोधन किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष उक्त राशियों को विवादित करने पर अपीलीय अधिकारी ने अपीलें आंशिक स्वीकार कर, कर एवं ब्याज को यथावत रखा है तथा शास्ति को अपास्त किया गया है। कर एवं ब्याज के बिन्दु पर व्यवहारी द्वारा एवं शास्ति के बिन्दु पर विभाग द्वारा उपरोक्त द्वितीय अपीलें कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

4. अपील दर्ज रिकॉर्ड की जाकर रिकॉर्ड व अप्रार्थी को तलब किया गया ।


5. बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष सुनी गयी ।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कथन किया गया कि उनके द्वारा अपील संख्या 2631/2017 में राशि रूपये 1,91,315/- के कर व राशि रूपये 44,150/- के ब्याज को विवादित किया गया है जो कि व्यवसाई के सोना इंजीनियर्स प्रा.लि. के साथ किये गये विक्रय अनुबंध दिनांक 29.08.2013 से संबंधित है। इसी प्रकार अपील संख्या 2632/2017 में राशि रूपये 76,310/- के कर व राशि रूपये 11,640/- के ब्याज को विवादित किया गया है जो कि व्यवसाई के सोना इंजीनियर्स प्रा.लि. के साथ किये गये विक्रय अनुबंध दिनांक 29.08.2013 से संबंधित है। अनुबंध दिनांक 29.08.2016 में माल की सप्लाई Ex works price पर की गई है। इस अनुबंध के अनुसार Freight व Transit रिस्क क्रेता की है। फ्रेट व बीमा राशि अलग से वसूल की गई है जो अधिनियम की धारा 2(36) के explanation -III के अनुसार विक्रय मूल्य में शामिल नहीं मानी जा सकती। इन्होंने इस बिन्दु पर अपीलें स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया गया। शास्ति के बिन्दु पर विद्वान अभिभाषक व्यवहारी ने कथन किया कि व्यवहारी अपनी लेखा विवरणियों में समस्त संव्यवहार दर्शाया है। कर निर्धारण अधिकारी ने शास्ति आरोपित करने में विधिक भूल की है जिसे अपास्त किये जाने में अपीलीय अधिकारी ने कोई त्रुटि नहीं की है। शास्ति के बिन्दु पर इन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किय गया। इन्होंने अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये:-

1. 117 STC 487 (SC)
2. 35 STC 84 at page 84-85
3. 55 STC 245 at page 26
4. 73 STC 317 (SC)
5. 90 STC 36 (SC)
6. 24 STC 487 (SC)
- 7- 8 VAT Reporter 205 (Raj HC)

7. विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय विधिसम्मत है। व्यवहारी ने बिक्री विवरणियों में फ्रेट राशि को घोषित नहीं किया गया है जबकि F.O.R Destination डिलीवरी में फ्रेट व बीमा राशि बिक्री मूल्य का भाग है। इस प्रकार फ्रेट एवं बीमा राशि को बिक्री मूल्य में नहीं जोड़ कर बिक्री को संचेत मस्तिष्क से

2/11



लगातार.....4


जानबूझकर छिपाया है एवं कर का अपवंचन किया है, जिससे अधिनियम की धारा 61 के अंतर्गत शास्ति आरोपित किया जाना विधिसम्मत है। अपीलीय अधिकारी ने शास्ति अपास्त करने में विधिक त्रुटि की है। इन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार किये जाने एवं व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया।

8. हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :-

9. विचाराधीन प्रकरणों में अपीलार्थी कम्पनी द्वारा विभिन्न प्रकार के स्टील स्ट्रक्चरल्स व टॉवर मैटेरियल, ट्रांसमिशन टॉवर लाईन इत्यादि का निर्माण कर राज्य में एवं राज्य के बाहर विक्रय किया जाता है। आलौच्य अवधि में प्रान्तीय/अन्तर्प्रान्तीय विक्रय के दौरान क्रेताओं से प्राप्त भाड़े (Freight) व बीमा (Insurance) की राशि को अपीलार्थी द्वारा विक्रय मूल्य का भाग नहीं माना गया। वक्त सर्वेक्षण जांच अधिकारी ने पाया कि क्रयादेश की शर्तों के अनुसार समस्त अनुबंधों में साईट पर माल पहुँचाने का दायित्व तथा गंतव्य तक माल पहुँचाने की समस्त जोखिमें एवं वहाँ वक्त माल का स्वामित्व भी अपीलार्थी का है। इस प्रकार की बिक्री F.O.R Destination पर पूर्ण होती है। इसलिये माल के साईट पर पहुँचने तक के समस्त व्यय यथा भाड़ा (Freight) व बीमा (Insurance) विक्रय मूल्य का भाग है। पत्रावली कर निर्धारण अधिकारी को स्थानांतरित की गई। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जांच अधिकारी के निष्कर्षानुसार वर्ष 2013-14 व 2014-15 की अवधि में अपीलार्थी द्वारा प्रान्तीय/अन्तर्प्रान्तीय विक्रय के क्रम में प्राप्त किये गये उक्त भाड़े एवं बीमा की राशि को विक्रय मूल्य का भाग माना गया। अपीलार्थी द्वारा भाड़े एवं बीमा की राशि को विक्रय में शामिल नहीं किये जाने का, करवंचना का कृत्य मानते हुये, कर निर्धारण अधिकारी ने भाड़े व बीमे की राशि पर कर, ब्याज एवं शास्ति आरोपण की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुये नोटिस जारी किये गये। नोटिस की अनुपालना में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब को अमान्य करते हुये, उक्तानुसार भाड़े व बीमे की राशि पर कर, ब्याज एवं शास्ति का आरोपण किया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने बाद में संशोधन आदेश द्वारा भाड़े एवं बीमा राशि पर आरोपित कर दर 14 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत की जाकर तदनुसार मांग में संशोधन किया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष उक्त राशियों को विवादित करने पर अपीलीय अधिकारी ने अपीलें आंशिक स्वीकार कर, कर एवं ब्याज को यथावत रखा है तथा शास्ति को अपास्त किया गया है। कर एवं ब्याज के बिन्दु पर व्यवहारी द्वारा एवं शास्ति के बिन्दु पर विभाग द्वारा उपरोक्त द्वितीय अपीलें कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

10. अपील संख्या 2631/2017 में राशि रूपये 1,91,315/- के कर व राशि रूपये 44,150/- के ब्याज को विवादित किया गया है जो कि व्यवसाई के सोना इंजीनियर्स प्रा.लि. के साथ किये गये विक्रय अनुबंध दिनांक 29.08.2013 से संबंधित है। इसी प्रकार

em



लगातार.....5

अपील संख्या 2632/2017 में राशि रूपये 76,310/- के कर व राशि रूपये 11,640/-के ब्याज को विवादित किया गया है जो कि व्यवसाई के सोना इंजीनियर्स प्रा.लि. के साथ किये गये विक्रय अनुबंध दिनांक 29.08.2013 से संबंधित है। व्यवसाई द्वारा इस आधार पर अपीलें प्रस्तुत की है कि अनुबंध दिनांक 29.08.2016 में माल की सप्लाई Ex works price पर की गई है एवं इस अनुबंध के अनुसार फ्रेट व ट्रांजिट रिस्क क्रेता की है तथा फ्रेट व बीमा राशि अलग से वसूल की गई है जो अधिनियम की धारा 2(36) के explanation -III के अनुसार विक्रय मूल्य में शामिल नहीं मानी जा सकती ।

11. विचाराधीन प्रकरणों में अपीलार्थी द्वारा सोना इंजीनियर्स प्रा.लि. के साथ किये गये अनुबंध दिनांक 29.08.2013 से संबंधित संव्यवहारों पर आरोपित कर एवं ब्याज को चुनौती दी है तथा शेष विक्रय अनुबंधों द्वारा किये गये संव्यवहारों पर आरोपित कर एवं ब्याज को स्वीकार किया है तथा इस संबंध में कोई चुनौती नहीं दी गई है। शेष विक्रय अनुबंधों में माल की सप्लाई F.O.R Destination थी जिस पर कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी ने कर एवं ब्याज को इस आधार पर विधिसम्मत माना है कि निर्धारित गंतव्य स्थान तक माल पहुँचाने का मूल्य विक्रय अनुबंधों के अनुसार निर्धारित किया है तथा गंतव्य स्थान पर माल पहुँचने पर ही माल का स्वामित्व क्रेता का होता है एवं ट्रांजिट रिस्क विक्रेता व्यवहारी की है। इस प्रकार प्रकरणों में कर व ब्याज के बिन्दु के संबंध में व्यवसाई द्वारा सोना इंजीनियर्स प्रा.लि. के साथ किये गये संव्यवहारों को ही विवादित किया है, अतः प्रकरणों में व्यवसाई द्वारा सोना इंजीनियर्स प्रा.लि. के साथ किये गये संव्यवहारों से संबंधित फ्रेट एवं बीमा राशि पर करारोपण आदि के संबंध में विचार किया जाता है।

12. सोना इंजीनियर्स प्रा.लि. का अनुबंध दिनांक 29.08.2013 निम्न प्रकार है :-

Sonna Engineers Private Ltd.

Date : 29th August, 2013

M/s Man Structural Pvt Ltd.,
P.Box 189, Near Loo
JAIPUR 302006

Re: Supply of tower material against RVPN Order under TN-3777,
bearing No. D-2123 dated 27th August, 2013

Dear Sirs,

Kindly refer to various discussions and understanding we had with regard to supply of tower material. We are pleased to place our order for supply of tower as under :

SCOPE OF SUPPLY - The scope of supply cover fabrication galvanization, design and supply of transmission line towers as per drawings & BOM to be provided by us, including stubd, U Bolts, Hangers, Spring washers, Bird guards, D-Shackled, Anti climbing devices & flat washers etc, Bolts, Nuts required for U Bolts and D-

PRICES - Ex works price for supply of above tower material shall be Rs. 64,612.00/- PMT.

EXCISE DUTY & TAXES - The applicable excise duty and VAT shall be paid extra as applicable at the time of supply. However, the present rate of excise duty is @ 12.36% & vat @ 5%

INSPECTION - Material is subject to inspection by our Engineers/RVPN Engineers. Expenses on this account shall be borne by you.

FREIGHT & TRANSIT RISK - MAN shall arrange transportation on behalf of buyer @ Rs. 1000/- PMT which shall be paid with invoice raised on seller. Transit loss and shortage shall be risk of buyer.

INSURANCE - Transit insurance is in scope of buyer.

TERMS OF PAYMENT -

- (i) Interest free advance at the rate of 10% of ex works price shall be paid to you on presentation.
- (ii) Payment equal to 60% of the ex works value of the material shall be paid on receipt of material at site.
- (iii) Further 20% payment will be made to you after verification/certification by RVPN that the equipment of the material has been erected.
- (iv) Final 10% of ex works price shall be paid along with approved price variation after submission of 'Taking over certificate'.

However, all the above payments are subject to 'back to back' basis.

PRICE VARIATION - The prices are variable with base price applicable as per IEEMA circular for the month of Feb, 2013. The price variation shall be paid along with last 10% payment.

We hope you will find the above in order and shall convey your acceptance of the above purchase order and start supplies at the earliest.


Thanking you,

Yours faithfully,
For SONA ENGINEERS PVT LTD

AUTHORISED SIGNATORY

उपरोक्त विक्रय अनुबंध से यह स्पष्ट है कि विक्रय मूल्य Ex works price के रूप में निर्धारित किया गया है अर्थात् यह विक्रय मूल्य विक्रेता के व्यापार स्थल का है न कि क्रेता द्वारा चाहे गये गंतव्य स्थान पर। इस अनुबंध के अनुसार Freight & Transit Risk के कॉलम में यह स्पष्ट किया गया है कि विक्रेता द्वारा परिवहन की व्यवस्था क्रेता

27



लगातार.....7

की तरफ से (On behalf of buyer) की जायेगी तथा परिवहन के दौरान क्षति या कमी जिम्मेदारी क्रेता की है। इसी प्रकार बीमा के कॉलम में भी परिवहन के दौरान जिम्मेदारी क्रेता की बताई गई है। इस प्रकार यह प्रमाणित है इस विक्रय अनुबंध के अनुसार माल की डिलेवरी F.O.R Destination नहीं है। इस संबंध में अधिनियम की धारा 2(36) का अवलोकन करना भी समीचीन है :-

2(36) “**sale price**” means the amount paid or payable to a dealer as consideration for the sale of any goods less any sum allowed by way of any kind of discount or rebate according to the practice normally prevailing in the trade, but inclusive of any statutory levy or any sum charged for anything done by the dealer in respect of the goods or services rendered at the time of or before the delivery thereof, except the tax imposed under this Act;

Explanation I. – In the case of a sale by hire purchase agreement, the prevailing market price of the goods on the date on which such goods are delivered to the buyer under such agreement, shall be deemed to be the sale price of such goods;

Explanation II. – Cash or trade discount at the time of sale as evident from the invoice shall be excluded from the sale price but any *ex post facto* grant of discounts or incentives or rebates or rewards and the like shall not be excluded;

Explanation III. – Where according to the terms of a contract, the cost of freight and other expenses in respect of the transportation of goods are incurred by the dealer for or on behalf of the buyer, such cost of freight and other expenses shall not be included in the sale price, if charged separately in the invoice;

उपरोक्त विधिक प्रावधान के अनुसार यदि विक्रय अनुबंध के अनुसार फ्रेट व परिवहन से संबंधित अन्य खर्चे यदि विक्रेता द्वारा क्रेता की तरफ से व्यय किये जाते हैं और इन्वॉयस में अलग से वसूल किये जाते हैं तो इन्हें विक्रय मूल्य का भाग नहीं माना जा सकता। चूंकि सोना इंजीनियर्स प्रा.लि. के साथ किये गये विक्रय अनुबंध के अनुसार फ्रेट एवं बीमा राशि विक्रेता द्वारा क्रेता की तरफ से वहन की गई है जिसे यदि इन्वॉयस में अलग से वसूल किया गया है तो उसे विक्रय मूल्य का भाग नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियों के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि सोना इंजीनियर्स प्रा. लि. के साथ किये गये संव्यवहारों के संबंध में वर्ष 2013-14 से संबंधित पत्रावली में उपलब्ध नोटिस के जवाब पृष्ठ संख्या-23 में यह उल्लेख किया गया है कि सोना इंजीनियर्स प्रा.लि., के साथ किये गये संव्यवहारों में वैट व बीमा राशि अलग से भुगतान किया जाना निर्धारित किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी ने अपने निर्णय में इस बिन्दु पर कोई परीक्षण नहीं किया है व अन्य संव्यवहारों के साथ-साथ सोना इंजीनियर्स के साथ किये गये संव्यवहारों में भी F.O.R Destination डिलीवरी मान ली गई है तथा अपीलीय अधिकारी स्तर भी इस बिन्दु पर परीक्षण नहीं किया गया है।

2011

2011/11/11

लगातार.....8

13. विवादित बिन्दू के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत Hyderabad Asbestos Cement Products Ltd. v/s State of Andhra Pradesh निर्णय दिनांक 19.02.1969 (24 STC 487) में निम्न प्रकार अवधारित किया गया है—

"Held, (i) that under the terms of the contract there was no obligation on the part of the company to pay the freight and the price received by the company for the sale of the goods was the invoice amount less the freight;"

इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय जयपुर बैंच द्वारा न्यायिक दृष्टांत Assistant Commissioner, Commercial Taxes, AE, Alwar v/s Ajanta Soya Limited निर्णय दिनांक 20.07.2007 (8 VAT Reporter 205) में निम्न प्रकार अवधारित किया गया है—

"No Material brought on record showing that the freight was part of the sale price, as per terms of contract. As such it has been rightly held that freight charges could not be taxed in the hands of the assessee."

14. इस प्रकार व्यवहारी द्वारा सोना इंजीनियर्स के साथ किये गये विक्रय अनुबन्ध की शर्तों, विधिक प्रावधान एवं न्यायिक दृष्टांतों के प्रकाश में यह निष्कर्ष निकलता है कि सोना इंजीनियर्स के साथ व्यवहारी द्वारा किये गये संव्यवहारों में फ्रेट व बीमा राशि का अलग से क्रेता के बिहाफ पर भुगतान करने, परिवहन के दौरान क्षति आदि का दायित्व क्रेता का होने एवं विक्रय अनुबन्ध के अनुसार Ex works price निर्धारित होने के कारण ऐसे संव्यवहारों में फ्रेट व बीमा राशि को विक्रय मूल्य में शामिल नहीं किया जा सकता यदि इनवॉईस में यह राशि अलग से वसूल की गई है। इनवॉईस में राशि अलग से वसूल करने के संबंध में परीक्षण कर निर्धारण अधिकारी के स्तर पर किया जाना अपेक्षित है।

15. अब राजस्व की ओर से अधिनियम 2003 की धारा 61 के अन्तर्गत शास्ति के बिन्दु के संबंध में प्रस्तुत अपीलों पर विचार किया जाता है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत The cement marketing Co. of India Ltd V/s Assisstant Commissioner 1989 45 STC 197 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय ACTO V/s Kumavat Udyog 1955 97 STC 238 का उल्लेख करना समीचीन है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय को निम्न प्रकार अवधारित किया है :—

"A return cannot be said to be "false" within the meaning of section 43 unless there is an element of deliberateness in it. It is possible that even where the incorrectness of the return is claimed to be due to want of care on the part of the assessee and there is not reasonable explanation forthcoming from the assessee for such want of care, the court may, in a given case, infer deliberateness and the return may be liable to be branded as a false return. But where the assessee does not include a particular item in the taxable turnover under a bona fide belief that he is not liable so to include it, it would not be right to condemn the return as a "false" return inviting imposition of penalty."

इसी प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने निम्न प्रकार अवधारित किया है :—

"Held accordingly, on the facts, that the Tribunal was right in holding that although the freight from B to destination formed part of the sale price of the goods in question, since the supplies were f.o.r. destination "B" and not the buyers' place, and the dealer had entered all the particulars in its accounts but was under the impression bona fide that the

freight from B onwards was not includible in the sale price, the failure to disclose the freight charges in question did not attract penalty under section 16(1) (e) of the Act."

अतः उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों को दृष्टिगत रखते हुए शास्ति आरोपण को उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपीलीय अधिकारी ने प्रकरणों में विधिसम्मत रूप से शास्ति अपास्त की है तथा शास्ति के बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी का निर्णय विधिसम्मत एवं न्यायोचित है।

16. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 2631/2016 एवं 2632/2016 आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर दोनों प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किये जाते हैं कि वें आलौच्य अवधि में व्यवहारी द्वारा सोना इंजीनियर्स के साथ किये गये विक्रय अनुबंध के अनुसरण में किये गये संव्यवहारों के संबंध में इनवॉईस का परीक्षण करे तथा विक्रय अनुबंध के अनुसरण में इनवॉईस में फ्रेट व बीमा राशि अलग से वसूल की गई है तो उसे विक्रय मूल्य का भाग नहीं माना जावे व तदनुसार नियमानुसार करारोपण आदि कर मांग संशोधित की जावे। व्यवहारी कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष दिनांक 09.07.2018 को पेश हों। शास्ति के बिन्दू पर अपीलार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलें 259/2017 से 262/2017 अस्वीकार की जाने योग्य होने के कारण अस्वीकार की जाती है।

17. निर्णय सुनाया गया।

10/2/2018
(नत्थूराम)
सदस्य

29/06/18
(राजीव चौधरी)
सदस्य